16 फरवरी, 2021

जन संपर्क विज्ञापन सह एजेंसियों को पैनल करने के लिए बोलियों की प्रस्तुति हेतु निविदा

सीपीपी पोर्टल निविदा आई.डी: 2021 _APEDA_590311_1

1. प्रस्तावना

1.1 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास (एपीडा) को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है:

- फल, सब्जियां और उनके उत्पाद
- मांस और मांस उत्पाद
- कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद
- डेयरी उत्पाद
- कंफेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद
- शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद
- कोको और उसके उत्पाद, सभी प्रकार की चॉकलेट
- मादक और गैर-मादक पेय
- अनाज और अनाज उत्पाद
- मूंगफली और अखरोट
- अचार, पापड़ और चटनी
- ग्वार गम
- पुष्पकृषि और पुष्पकृषि उत्पाद
- हर्बल और औषधीय पौधे
- चावल

1.2 अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एपीडा द्वारा विभिन्न निर्यात संवर्धन गतिविधियां की जाती हैं जिनमें विभिन्न निर्यातकों के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और संवर्धन को प्रदर्शित करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय पविल्यन (थीम के साथ-साथ निर्यातकों के लिए पविल्यन) की स्थापना द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रमों में भागीदारी लेने के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से संवर्धन, संवर्धन सामग्री एपीडा अनुसूचित उत्पादों के जैसे, फिल्में, ब्रोशर, पैनल / पोस्टर तैयार करना, गोष्ठियों / कार्यशालाओं / सम्मेलनों का आयोजन करना आदि शामिल हैं।

2. कार्य का क्षेत्र

2.2 एपीडा निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों को पैनल करने के लिए इच्छुक है और पात्र एजेंसियों से निर्धारित प्रारूप (संलग्नक 1) में आवेदन आमंत्रित करता है:

2.2.1 जन संपर्क गतिविधियाँ जिनमें मीडिया संबंध, विज्ञापन, समाचार पत्र, सोशल मीडिया आदि शामिल हैं।

2.2.2 मुद्रण और इलैक्ट्रॉनिक सहित मीडिया संवर्धन।

2.2.3 प्रेस नोट तैयार करने, प्रेस नोट जारी करने, प्रेस अधिकारियों को आमंत्रित करने और अन्य संबंधित गतिविधियों सहित प्रेस बैठक का आयोजन।

2.2.4 एपीडा अनुसूचित उत्पादों के लिए एवी फिल्मों का निर्माण।

2.2.5 संवर्धन/प्रचार सामग्री जैसे कि ब्रोशर, पेम्फ्लेट्स, लीफलेट्स, हैंडाउट्स, फ्लायर्स, पोस्टर/पैनल, मल्टिमीडिया (प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक) आदि सहित कन्टेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग का निर्माण और डिजाइनिंग और समय-समय पर एपीडा द्वारा आवश्यतानुसार हिंदी/विदेशी भाषाओं में अनुवाद।

2.2.6 समय-समय पर भारतीय / विदेशी भाषाओं में एपीडा की आवश्यक रिपोर्ट तैयार करना, डिजाइन करना और मुद्रित करना।

2.2.7 अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में एपीडा की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, डिजाइन करना और मुद्रित करना।

2.2.8 कार्यशालाओं, गोष्ठियों, उत्पाद संवर्धन कार्यक्रमों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर / राज्य स्तर पर दिल्ली और देश के अन्य शहरों में आवाश्यकतानुसार किया जा सकता है।

2.2.9 सभी प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के लिए समय समय पर आवश्यकतानुसार हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय/विदेशी भाषाओं में कन्टेंट राइटिंग और डिजाइनिंग सहित विज्ञापनों का निर्माण।

2.2.10 समय-समय पर एपीडा द्वारा आवश्यकतानुसार ऐसी भाषाओं और मीडिया में विज्ञापन तैयार करना और जारी करना।

नोट: उपरोक्त गतिविधियाँ निरंतर या आंतरायिक और एपीडा की आवश्यकता पर निर्भर हो सकती हैं।

3. पात्रता की शर्तें

न्यूनतम योग्यता के बाद वाली एजेंसियों को उपर्युक्त गतिविधियों के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है:

उपरोक्त गतिविधियों के लिए आवेदन करने हेतु एजेंसियों की न्यूनतम योग्यताएं निम्नलिखित हैं:

3.1 एजेंसी एपीडा के लिए परियोजना शुरू करने के लिए एक योग्य रचनात्मक टीम प्रदान करने और तुलनीय कद के राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को संभालने में अनुभव का प्रदर्शन करने में सक्षम हो। एजेंसी के पास प्रभावशाली डिजाइन हो और डिजाइन को निष्पादित करने की व्यापक क्षमता के साथ एजेंसियों को सौंदर्य बोध हो।

3.2 एजेंसियों को पंजीकृत व्यावसायिक इकाई / सेवा प्रदाता होना चाहिए। पंजीकरण क्रमांक, टैन / प्रत्यक्ष कर / आयकर / व्यापार कर / वैट / जी.एस.टी आदि के रूप में लागू तकनीकी बोली प्रारूप में उद्धृत किया जा सकता है और प्रमाण पत्र/प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर हो न कि समूह/संबंधित संगठन के नाम पर। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।

3.3 सरकार के राष्ट्रीय स्तर पर या प्रतिष्ठित निजी निकायों में समान प्रकृति के कार्यों में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। कार्य आदेश की प्रतियां संलग्न की जाएं।

3.4 पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान न्यूनतम रु 5,00,00,000 / - (केवल पांच करोड़ रुपये) का टर्नओवर हो। टर्नओवर केवल केवल आवेदक संगठन के नाम पर हो न कि समूह/ संबंधित संगठन के नाम पर। (इसके लिए वार्षिक खाते संलग्न करें। यदि लेखा परीक्षा खाते उपलब्ध न हो तो टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला एक सीए प्रमाण पत्र संलग्न करें)।

3.5 पिछले तीन वर्षों के लिए नवीनतम आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि समूह/ संबंधित संगठन के नाम पर। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।

3.6 एजेंसी को कभी किसी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो। यदि कभी ब्लैक्लिस्ट किया गया हो तो वह वर्तमान तिथि पर लागू न हो। इससे संबंधित एक स्व-प्रमाणित घोषणा को प्रस्तुत किया जाए।

3.7 विज्ञापन एजेंसी के लिए आईएनएस प्रत्यायन आवश्यक है (प्रत्यायन की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)।

3.8 समन्वय की सुगमता के लिए एजेंसी के पास दिल्ली / एनसीआर क्षेत्र में एक पूर्ण परिचालन कार्यालय हो। एजेंसी को अपनी साख और अपनी टीम की मजबूती के साथ विभिन्न सेवाओं को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करना होगा।

4. नियम एवं शर्तें

4.1 इस उद्देश्य के लिए एपीडा द्वारा गठित चयन समिति द्वारा एजेंसियों के चयन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

4.2 यदि पहले वापस नहीं लिया जाता है तो एजेंसियों की सामंजस्य अवधि दो वर्ष के लिए होगी। हालांकि, पैनल की गई एजेंसियों के संतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में समयावधि को दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

4.3 2. कार्यक्षेत्र में सूचीबद्ध आवश्यक गतिविधियों के आधार पर, अनुभव एजेंसियों को समय-समय पर निर्धारित प्रारूप में अपनी वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक गतिविधियों / गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा। बोलीदाताओं को बोली मानदंडों के बारे में सूचित किया जाएगा जो वित्तीय बोलियों के लिए कॉल करने के समय क्यूसीबीएस या एलसीएस है। कार्य प्रदान किए जाने के लिए चयन, जीएफआर 2017 और अन्य प्रासंगिक नियमों/आदेशों के आधार पर किया जाएगा।

4.4 आवेदकों को अपने स्वयं के हित में यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जाती है कि जांचसूची में दिए गए सभी बिंदुओं का उनके आवेदन में अनुपालन किया जाए। इसमें विफल होने पर कि प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। अधूरे आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

4.5 आवेदक को बोली दस्तावेजों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को मानना होगा।

4.6 किसी भी अंतःविषय, विलोपन या ओवरराइटिंग को केवल तभी मान्य माना जाएगा जब वे आवेदन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित / हस्ताक्षरित हों

4.7 जीएफआर 2017 के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

4.8 एपीडा के पास अधिकार है:-
4.8.1 डिज़ाइन / आर्ट वर्क का कॉपीराइट का अधिकार, जहाँ एपीडा द्वारा भुगतान किया गया है।
4.8.2 डिजाइन प्लान, आर्ट वर्क, प्रोडक्ट फिल्म, ब्रोशर आदि में बदलाव का अधिकार।
4.8.3 अपने विवेक पर आवेदन प्रस्तुति की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार।

4.8.4 अनुबंध / आदेश देने से पहले, चयन से पूर्व बिना कोई कारण बताए, एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार।

4.8.5 चयन प्रक्रिया के नियमों और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार।

4.8.6 एपीडा के पास आवेदकों से कोई प्रासंगिक जानकारी / दस्तावेज मांगने का अधिकार है।

4.8.7 एपीडा का निर्णय इस संबंध में अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4.8.8 इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, अध्यक्ष एपीडा का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों यानी बोलीदाता और एपीडा पर बाध्यकारी होगा।

4.8.9 अस्वीकृति / गैर-चयन आदि की कोई कीमत नहीं होगी।

5. चयन प्रक्रिया

5.1 एपीडा में एक समिति प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। चयन समिति के समक्ष प्रस्तुति देने के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों की आवश्यकता होगी। स्कोर और वेटेज मानदंड, **संलग्नक -2** में उपलब्ध है।

5.2 एजेंसियों को तकनीकी बोली के साथ हार्ड और सॉफ्ट कॉपी (सीडी / पेन ड्राइव) दोनों के रूप में एपीडा कॉर्पोरेट विवरणिका की रचनात्मक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

5.3 उपरोक्त मानकों के आधार पर चयन समिति द्वारा और एपीडा कॉर्पोरेट विवरणिका की रचनात्मक के आधार पर सभी प्रस्तुतियों का अंकन किया जाएगा। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (100 में से 70 अंक) स्कोर करने वाली एजेंसी को पैनल मे लाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

5.4 बोलीदाता को तैयारी और प्रस्तुति से जुड़ी सभी लागतों को वहन करना होगा।

सम्मेलन कक्ष, एपीडा, तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सिरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016 में 23 फरवरी, 2021 को सुबह 11 बजे पूर्व बोली बैठक आयोजित की जाएगी।

बोली को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 8 मार्च, 2021 शाम 5 बजे तक है। पूर्ण आवेदनों को निम्नलिखित पते पर भेजा जाए:

महाप्रबंधक (व्यापार मेले)
एपीडा
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, 3, सिरी सांस्थानिक क्षेत्र,
एशियार्ड गांव के सामने, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
टेलीफोन/फैक्स: 41486015

ई-मेल: : ssnayyar@apeda.gov.in

संलग्नक - 1

जन संपर्क सह विज्ञापन एजेंसियों को पैनल करने हेतु बोलियां प्रस्तुत करने के लिए आवेदन प्रोफार्मा

1	संगठन का नाम	
2	पत्राचार का पता (दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में स्थानीय कार्यालय हो)	
3	संपर्क व्यक्ति	
4	संपर्क विवरण टेलीफोन नं. मोबाइल नं. ई-मेल:	
5	एजेंसी की प्रोफाइल और कुल वेतन भुगतान पर कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या ________
6	प्रस्तावित कार्य/सेवाओं का विवरण	
7	अनुभव (वर्षों की संख्या)	वर्षों की संख्या ________
8	ट्रैक रिकॉर्ड - समान प्रकृति के कार्य को संभालने का पिछला अनुभव (कृपया यहाँ उल्लेख करें)। कंपनी के पास 5 साल का कार्य अनुभव हो। (कार्य आदेश की प्रति के साथ सूची संलग्न है)	
9	पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान न्यूनतम पांच करोड़ रुपये का टर्नओवर हो। टर्नओवर केवल केवल आवेदक संगठन के नाम पर हो न कि समूह/ संबंधित संगठन के नाम पर। (यदि लेखा परीक्षित खाते उपलब्ध नहीं हो तो टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला एक सीए प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	
10	पिछले तीन वर्षों के लिए नवीनतम आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि समूह/ संबंधित संगठन के नाम पर। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।	
11	स्थायी खाता संख्या. पैन (स्व प्रमाणित प्रति)	
12	सेवा कर / वैट नं. / GST (स्व प्रमाणित प्रति)	

13	आईएनएस पंजीकरण संख्या (स्व प्रमाणित प्रति)	
14	एपीडा कॉर्पोरेट ब्रोशर का निर्माण (हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों में)	
15	क्लाइन्ट्स की सूची	
16	एक स्व-प्रमाणित घोषणा प्रस्तुत की जाए जिसमें उल्लिखित हो कि एजेंसी को कभी किसी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो। यदि कभी ब्लैक्लिस्ट किया गया हो तो वह वर्तमान तिथि पर लागू न हो।	
17	अन्य प्रासंगिक विवरण	
18	संलग्नकों की सूची	

मैं / हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त यह प्रमाणित करते हैं कि न तो संगठन और न ही संगठन के किसी भी अधिकारी ने अनैतिक प्रथाओं का सहारा लिया है और किसी भी एजेंसियों / अदालतों द्वारा कोई भी जांच / सतर्कता जांच लंबित नहीं है।

____

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

____

नाम

____

पद और कंपनी मुहर

दिनांक __/__/_____

स्थान

संलग्नक -2

स्कोर/वेटेज मानदंड

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>क्षेत्र</th><th>स्कोर/वेटेज</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>एपीडा द्वारा नियमित रूप से किए जाने वाले आवश्यक पीआर और संबंधित गतिविधियों के बारे में समझ</td><td>40</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कंपनी का टर्नओवर: अंकों का विश्लेषण नीचे दिया गया है (उपलब्ध किए जाने वाले प्रमाण):<table><tr><td>5 करोड़ रूपए</td><td>5 अंक</td></tr><tr><td>5 करोड़ रूपए से अधिक</td><td>10 अंक</td></tr></table></td><td>10</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सरकार के राष्ट्रीय स्तर पर या प्रतिष्ठित निजी निकायों में समान प्रकृति के कार्यों में अनुभव हो। अंको का विच्छेद निम्नलिखित है (उपलब्ध किए जाने वाले प्रमाण):<table><tr><td>5 वर्ष</td><td>5 अंक</td></tr><tr><td>5 वर्षों से अधिक</td><td>10 अंक</td></tr></table></td><td>10</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>रचनात्मक और प्रस्तुति</td><td>40</td></tr>
</table>